दिनांक 21.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 21/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा ''मेरी लाइन्स, कोरोना मुक्त लाइन्स'' अभियान हेतु दिये निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत समस्त रिजर्व पुलिस लाइन्स, वाहिनियों व इकाईयों के परिसरो को कोरोना मुक्त बनाये रखने हेतु वृहद स्तर पर अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। इस हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 21.05.2021 को पुलिस मुख्यालय में **''मेरी लाइन्स, कोरोना मुक्त लाइन्स''** अभियान का शुभारम्भ करते हुये मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गयेः–

➢ **''मेरी लाइन्स, कोरोना मुक्त लाइन्स''** अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाय, जिसमें सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि अधीनस्थ कर्मचारियों को भी कोविड प्रोटोकाल का पालन करने व कराने हेतु प्रेरित किया जाय।

➢ यह सुनिश्चित किया जाना है कि समस्त जनपदीय पुलिस लाइन्स एवं इकाई का परिसर कोविड–19 संक्रमण से मुक्त हो गया है। इस हेतु अभियान के दौरान अपने कार्यालय परिसर में ही नहीं अपितु पुलिस लाइन्स, पी0ए0सी0 वाहिनियों आदि के आवसीय परिसरो में भी कोरोना संक्रमण को समाप्त करने हेतु बृहद रूप से कार्य योजना बनाकर कार्य किये जाये।

➢ समस्त पुलिस कार्मिको तथा उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क धारण करने, सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने एवं भारत सरकार, उ0प्र0शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाल तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाय।

➢ अभियान के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु पुलिस लाइन्स, वाहनियों व इकाईयों के परिसरो को नियमित रूप से सेनेटाइजेशन, साफ सफाई आदि के सभी आवश्यक प्रबन्ध किये जायें।

मेरी लाइन्स, कोरोना मुक्त

जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **25—25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.05.2021 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुशहालपुर तिराहे के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—प्रेम सिंह 2—नौरतन 3—विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में चोरी व गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 517/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रेम सिंह निवासी सुल्तानपुर पट्टी थाना स्वार जनपद रामपुर।

2—नौरतन निवासी सुल्तानपुर पट्टी थाना स्वार जनपद रामपुर।

3—विजय कुमार निवासी सुल्तानपुर पट्टी थाना स्वार जनपद रामपुर।

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.05.2021 को थाना अजीमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बजावाला की पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लईक को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अजीमनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लईक निवासी बजावाला थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित कारतूस ।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना खुटार

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20/21.05.2021 को थाना खुटार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सौफरी पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी कर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्तों 1—सईद बंजारा 2—उस्मान 3—वकील उर्फ महतिया 4—इश्त्याक उर्फ कमांडो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस, कुल्हाड़ी, बाका आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सईद बंजारा के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर व सीतापुर के विभिन्न थानों पर हत्या के प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, सी0एस0 एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त उस्मान के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, सीतापुर, खीरी के विभिन्न

थानों पर डकैती, चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त वकील उर्फ महतिया के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, सीतापुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त इश्त्याक उर्फ कमांडो के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर व सीतापुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त सईद बंजारा गिरोह का सरगना है, जो थाना खुटार पर पंजीकृत मु0अ0सं0—146/2021 धारा 379/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सईद बंजारा निवासी मोहल्ला ककरा थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

2—उस्मान निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी।

3—वकील उर्फ महतिया निवासी मोहल्ला ककरा थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

4—इश्त्याक उर्फ कमांडो निवासी मोहल्ला खेडा थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2— कुल्हाड़ी, बाका आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना अहरौला

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 21.05.2021 को थाना अहरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम फुलवरिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बृजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0–58/2021 धारा 419/420/467/468/471/272/273/120बी भादवि व 60 ए आबकारी एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बृजेश कुमार निवासी मित्तूपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना मौरावां

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.05.2021 को थाना मौरावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भवानीगंज सहायखेडा मोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुभाषचन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मौरावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0–213/2021 धारा 143/147/148/149/307/504/506/109/120बी/216 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मौरावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम दरेहटा थाना मौरावां जनपद उन्नाव।

जनपद अयोध्या/थाना पटरंगा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.05.2021 को थाना पटरंगा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना पटरंगा क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त फुरकान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटरंगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–158/2020 धारा 364/302/201 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटरंगा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फुरकान निवासी ग्राम नबीपुर मजरे नूरपुर थाना पटरंगा जनपद अयोध्या।

जनपद आगरा/थाना मन्टोला

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.05.2021 को थाना मन्टोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदीना तिराहे से चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ डीके को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना मन्टोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0–02/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मन्टोला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवेन्द्र उर्फ डीके निवासी सेक्टर–5 आवास विकास कालोनी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना रोहनियां

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण**
- **05 हजार 800 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2021 को थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वीरभानपुर नहर के किनारे से 04 शातिर अभियुक्तों 1–राहुल 2–असलम 3–रोहित उर्फ बुक्कू 3–सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के 03 लाकेट, सोने के 01 मॉगटीका, चॉदी के 44 पायल, चॉदी की 30 बिछिया, चॉदी की 01 थाली, चॉदी का 01 गिलास, चॉदी की 02 कटोरी, चॉदी की 07 अॅगूठी, चॉदी की 02 हाथ की पैजनी , 05 हजार 800 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन,01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनियां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी रानीबाजार, थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।

2—असलम निवासी रानीबाजार थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

3—रोहित निवासी रानीबाजार थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

4—सुनील निवासी चन्दापुर थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1—चोरी के सोने के (03 लाकेट, सोने के 01 मॉगटीका)

2— चोरी के चॉदी के (44 पायल, 30 बिछिया, 01 थाली, 01 गिलास, 02 कटोरी, 07 ॲगूठी, 02 हाथ की पैजनी)

3— 05 हजार 800 रूपये नगद।

4—02 मोबाइल फोन।

5—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

6—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना बण्डा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार रूपये नगद**
- **लूट की बैंक पासबुक व आधार कार्ड**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.05.2021 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीआरसी ग्राउन्ड के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—अभिषेक 2—रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 20 हजार रूपये नगद, बैंक पासबुक व आधार कार्ड, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2021 को थाना बण्डा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी मो0 एमनजई थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर, हालपता चरखी देवरी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

2–रवि निवासी मो0 एमनजई थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लूट के 20 हजार रूपये नगद।

2– लूट की बैंक पासबुक व आधार कार्ड

3–02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.05.2021 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एस.के. मैरिज हाल के पास से 02 अभियुक्तों 1–अनीष 2–आदर्श कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनीष निवासी बिजौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

2—आदर्श कुमार निवासी कल्याणपुर बरौली थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद आगरा/थाना मलपुरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 चार पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस**
- **गाड़ी काटने के सामान आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2021 को थाना मलपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरडी स्कूल के पास से 02 अभियुक्तों 1—श्री भगवान 2—सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस, गाड़ी काटने के सामान आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आर्म्स एक्ट आदि के 04—04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चार पहिया वाहन थाना मलपुरा, थाना जगदीशपुरा व थाना सदर पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—श्री भगवान निवासी शिवनगर खेरिया मोड़ थाना शाहगंज जनपद आगरा।

2—सूरज निवासी वरनापुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद हालपता धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 03 चार पहिया वाहन।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

3—गाड़ी काटने के सामान आदि।

<u>एसटीएफ- जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा क्षेत्र में दिनांक 17.04.2021 को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति की हत्या सहित कुल 03 मुकदमों में वांछित व 74 अभियोगों का हिस्ट्रीशीटर (46ए) एवं 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांक—21.05.2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा क्षेत्र में दिनांक 17.04.2021 को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति की हत्या सहित कुल 03 मुकदमों में वांछित व 74 अभियोगों का हिस्ट्रीशीटर (46 ए) एवं 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वकील अहमद उर्फ मुण्डा को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—</u>

1— वकील अहमद उर्फ मुण्डा पुत्र मिनहाज, निवासी ग्राम नौतोरवा सिन्धौरा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

<u>कुल बरामदगीः—</u>

1— 01 अदद तमन्चा 315 बोर।
2— 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3— 01 अदद मोबाइल।
4— नकद 670/— रूपये

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय</u>

प्रयागराज प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग, कुसुमी, भुपियामऊ, रेलवे क्रासिंग के पास, दिनांक 21.05.2021 समय 13.40 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 21.05.2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन कर रही थी, इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि अप्रैल, 2021 में थाना जेठवारा क्षेत्र में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार—प्रसार के दौरान हुई हत्या में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0—153/2021 धारा—302/323/34 भादवि व मु0अ0सं0—160/2021 धारा—147/148/149/323/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट एवं मु0अ0सं0—324/2020 धारा—147/148/149/504/307 भादवि का वांछित व 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी वकील अहमद उर्फ मुण्डा उपरोक्त अपने ऊपर पंजीकृत अभियोगों की पैरवी हेतु प्रयागराज में किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, श्री अनिल कुमार सिंह, मु0आ0 प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी हबीब सिद्दीकी, सुनील की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त वकील अहमद उर्फ मुण्डा द्वारा बताया गया कि प्रधानी चुनाव में रंजिश को लेकर हम लोगों द्वारा वहीद पुत्र उमर, निवासी सिन्धौर नौतोरवां, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। साथ ही ग्राम फूलपुर, जनपद प्रतापगढ़ से बी0डी0सी0 का उम्मीदवार मो0 ऐनुल अपने साथ कय्यूम और नसीम के साथ जब वोट मॉगने के इरादे से ग्राम फूलपुर में आया था कि हम लोगों ने मिलकर इन तीनों को लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से पीटा और मैंने नसीम को गोली भी मार दी थी। **मेरे विरूद्ध कुल 74 अभियोग जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में पंजीकृत है। मु0अ0सं0—220/1994 धारा—302 भादवि, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में मुझे 20 वर्ष की सजा भी हो गयी है,** जिसमें मैं हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हूँ। इस मुकदमें में मैंने उस समय के मौजूदा ग्राम प्रधान सीता राम जायसवाल, निवासी सिन्धौर, शम”ोरगंज बाजार, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को सुबह 08.00 बजे जब वह फारूख कोटेदार के घर पर मिट्टी का तेल ले रहे थे तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 324/2020 धारा 147/148/149/504/307 भादवि, मु0अ0सं0 153/2021 धारा—34/323/302 भादवि व मु0अ0सं0—160/2021 धारा— 147/148/149/323/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट और धारा—3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

वकील अहमद उर्फ मुण्डा पुत्र मिनहाज, निवासी ग्राम नौतोरवां सिन्धौरा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01.	निल / 1975	41 / 411 भादवि	सांगीपुर	प्रतापगढ़
02.	74 / 1975	307 भादवि	सांगीपुर	प्रतापगढ़
03.	219 / 1979	147 / 324 / 325 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
04.	221ए / 1981	147 / 148 / 307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
05.	63 / 1981	428 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
06.	60 / 1982	147 / 148 / 149 / 304ए भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
07.	69 / 1982	352 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
08.	241 / 1982	504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
09.	626 / 1982	323 / 504 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
10.	46 / 1982	25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
11.	29 / 1983	395 / 397 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
12.	149 / 1983	143 / 149 / 186 / 224 / 353 / 332 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
13.	91 / 1983	395 / 397 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़
14.	840 / 1987	302 भादवि	को0नगर	प्रतापगढ़
15.	124 / 1988	307 / 364 / 342 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
16.	179 / 1989	323 / 307 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़
17.	204 / 1989	147 / 148 / 149 / 307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
18.	386 / 1989	504 / 506 भादवि	को0नगर	प्रतापगढ़
19.	271 / 1990	307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
20.	130 / 1991	504 / 352 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
21.	122ए / 1991	147 / 323 / 307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
22.	179 / 1991	307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
23.	355 / 1991	504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
24.	27 / 1992	2 / 3(1) यू0पी0गैंगस्टर एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
25.	169 / 1992	25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
26.	179 / 1992	323 / 504 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
27.	270 / 1992	20 एनडीपीएस एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
28.	171 / 1993	4 / 10 वन अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
29.	175 / 1993	147 / 148 / 149 / 323 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
30.	178 / 1993	147 / 148 / 149 / 323 / 504 / 506 / 427 / 307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
31.	353 / 1993	147 / 148 / 149 / 323 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
32.	384 / 1993	307 / 323 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
33.	544 / 1993	3 (2) यू0पी0 गुण्डा अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
34.	44 / 1994	307 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
35.	220 / 1994	302 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
36.	221 / 1994	506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़

37.	244 / 1994	506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
38.	25 / 1995	3 (1)गुण्डा अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
39.	286 / 1996	3(1) गुण्डा अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
40.	281 / 1996	3(2)गुण्डा अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
41.	77 / 1999	323 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
42.	07 / 2000	323 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
43.	08 / 2000	307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
44.	118 / 2000	323 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
45.	184 / 2000	3(1)गैंगस्टर एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
46.	138 / 2002	2 / 3 गुण्डा एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
47.	28 / 2004	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
48.	54 / 2004	2 / 3 गुण्डा एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
49.	226 / 2004	325 / 323 / 504 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
50.	69 / 2005	307 / 352 / 506 / 427 भादवि 7 सीएलए एक्ट 2 / 3 गुण्डा एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
51.	83 / 2006	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
52.	21 / 2007	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
53.	345 / 2007	389 / 352 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
54.	144 / 2008	147 / 148 / 149 / 307 / 332 / 353 / 504 / 506 / 224 / 225 / 352 / 323 भादवि 7 सीएलए एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
55.	145 / 2008	25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
56.	146 / 2008	110 जी गुण्डा एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
57.	197 / 2008	2 / 3(1) गैंगेस्टर एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
58.	181 / 2010	323 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
59.	184 / 2010	506 / 427 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
60.	539 / 2010	147 / 323 / 504 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
61.	543 / 2010	22 एनडीपीएस एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
62.	550 / 2010	393 / 323 / 504 / 506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
63.	33 / 2012	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
64.	122 / 2012	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
65.	162 / 2012	2 / 3(1) गुण्डा एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
66.	221 / 2012	3 / 25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
67.	328 / 2012	18 / 20 एनडीपीएस एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
68.	329 / 2012	3 / 25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
69.	418 / 2017	323 / 504 / 506 / 394 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
70.	304 / 2018	147 / 148 / 323 / 506 / 504 / 427 / 307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
71.	566 / 2018	3 / 25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
72.	**324 / 2020**	**147 / 148 / 149 / 504 / 307 भादवि (वांछित)**	**जेठवारा**	**प्रतापगढ़**
73.	**153 / 2021**	**302 / 323 / 34भादवि (वांछित)**	**जेठवारा**	**प्रतापगढ़**
74.	**160 / 2021**	**147 / 148 / 149 / 307 / 323 / 504 / 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट (वांछित)**	**जेठवारा**	**प्रतापगढ़**

एसटीएफःवर्ष 2015 से फरार व रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी सुशील यादव उर्फ रोहित यादव गिरफ्तार

दिनाक 21—05—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को वर्ष 2015 से फरार चल रहे रू0 25,000/— के पुरस्कार घोषित अपराधी सु"ाील यादव उर्फ रोहित को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

सु"ाील यादव उर्फ रोहित यादव पुत्र भीम सागर यादव, निवासी अगरौली, थाना हल्दी, जनपद बलिया।

बरामदगीः—

1—एक अदद मोबाइल फोन।
2—एक अदद आधार कार्ड।
3—01हजार रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

पी0एन0यू0 क्लब कैण्टोमेण्ट के पास थाना कैण्ट जनपद वाराणसी। दिनांक 21—05—2021

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड यूनिट वाराणसी की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद आगरा के थाना ताजगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 302/15 धारा 377/506भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित तथा रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी सु"ाील यादव उर्फ रोहित यादव पुत्र भीम सागर यादव, निवासी अगरौली, थाना हल्दी, जनपद बलिया वर्तमान में जनपद वाराणसी में लुक—छिप कर रह रहा है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा थाना ताजगंज जनपद आगरा पुलिस से सम्पर्क कर उन्हें अवगत कराया गया, जिसपर स्थानीय एस0टी0एफ0 टीम तथा आगरा पुलिस के द्वारा उक्त सूचना का धरातलीय सत्यापन किया जा रहा था कि इसी दौरान आज दिनांक 21—05—2021 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त सु"ाील यादव उर्फ रोहित पी0एन0यू0 क्लब कैण्टोमेण्ट, जनपद वाराणसी के पास खड़ा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर से प्राप्त इस सूचना पर वाराणसी एस0टी0एफ0 टीम एवं जनपद आगरा पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर सु"ाील सिंह उर्फ रोहित उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त सु”ील यादव उर्फ रोहित ने पूछताछ में बताया कि वह जनपद बलिया का रहने वाला है तथा लखनऊ में ट्रवेल कम्पनी में कार चलाता था। राजकमल भारती, जो लखनऊ में नौकरी करते थे, इनके परिवार को दिनांक 05–05–2015 को लेकर आगरा गया था और इनके घर पर ही रूका था। अगले दिन 06–05–2015 को राजकमल के नाबालिग पुत्र को चॉकलेट दिलाने के नाम पर बाहर लेकर गया और गाड़ी के अन्दर ही बुरा कृत्य किया और हालत गंभीर होने पर छोड़कर भाग गया। इस संबंध में आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसम उसके ऊपर रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित हुआ था और तभी से फरार चल रहा था कि आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को जनपद आगरा पुलिस द्वारा थाना ताजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/15 धारा 377/506भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में जनपद न्यायालय वाराणसी में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु अग्रिम आव”यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———————